भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1994
गुरूवार, 14 दिसम्बर, 2023 (23 अग्रहायण, 1945 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान

1994. श्रीमती नुसरत जहां:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में विमानन प्रशिक्षण की सरकारी और निजी प्रशिक्षण केन्द्र–वार औसत लागत कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में विमानन प्रशिक्षण का विस्तार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा नए विमानन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए निर्धारित, मानदण्डों का ब्यौरा क्या है और उनकी अपेक्षित अवसंरचना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने पायलटों को प्रशिक्षित किया गया है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क): विशेष रूप से वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) प्राप्त करने के लिए अपेक्षित उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सहित विमान पाठ्यक्रम अत्यधिक तकनीकी स्वरूप के होते हैं।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), विनिर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार, उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) को अनुमोदन प्रदान करता है। छात्रों द्वारा एफटीओ से सीपीएल प्राप्त करने संबंधी वित्तीय पहलुओं को डीजीसीए विनियमित नहीं करता है। वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) प्राप्त करने संबंधी लागत, एफटीओ द्वारा विनियमित की जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इगरुआ) और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू) द्वारा कराए जाने वाले पाठ्यक्रमों का ब्यौरा और उन पर होने वाला खर्च अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

(ख): देश में विमानन प्रशिक्षण के विस्तार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार है :-

i. वर्तमान में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा 55 स्थानों पर 34 अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) प्रचालनरत हैं।

ii. देश में प्रशिक्षित पायलटों की संख्या बढ़ाने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) एक उदारीकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) नीति लेकर आया है जिसके अंतर्गत, हवाईअड्डे की रॉयल्टी (एफटीओ द्वारा एएआई को राजस्व शेयर भुगतान) की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और भूमि किराये को पर्याप्त रूप से तर्कसंगत बनाया गया है।

iii. वर्ष 2021 और 2022 में, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दो दौर के बाद, एएआई ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के दस हवाईअड्डों पर पंद्रह एफटीओ स्लॉट अवॉर्ड किए।

(ग): एक नए उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) की स्थापना के लिए अवसंरचना सुविधाओं सहित अपेक्षित निर्धारित मानदंडों का विवरण, वायुयान नियमावली के नियम 41ख और नागर विमानन अपेक्षाओं की धारा 7, श्रृंखला घ, भाग। के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

(घ) पिछले 03 वर्षों के दौरान डीजीसीए द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसों (सीपीएल) की कुल संख्या निम्नलिखित है-

वर्ष	**जारी किए गए कुल वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल)**
2021	862
2022	1165
2023 (30.11.2023 तक)	1491

****

अनुलग्नक 1

लोक सभा के दिनांक 14-12-2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1994 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ)

क्र.सं	**कार्यक्रम /पाठ्यक्रम का नाम**	**पाठ्यक्रम शुल्क**
1.	वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) प्रशिक्षण	45.00 लाख रुपए
2.	अंग्रेजी भाषा प्रवीणता (ईएलपी) प्रशिक्षण और परीक्षण	(i) इग्रुआ छात्रों के लिए:- रु. 45000/- (ii) गैर-इग्रुआ छात्रों के लिए:- रु. 45000/-+18% जीएसटी (iii) केवल बाहरी छात्रों के ईएलपी परीक्षण के लिए:- रु. 10000/-+18% जीएसटी
3.	विमान रखरखाव इंजीनियरिंग (एएमई) स्कूल	रु. 4.60 लाख

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू)

क्र.सं	**कार्यक्रम /पाठ्यक्रम का नाम**	**पाठ्यक्रम शुल्क**
1.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ऑपरेशन	रु 3,28,500/-
2.	बैचलर ऑफ मैनजमेंट स्ट्डी इन एविएशन सर्विस एण्ड कार्गो	रु. 2,50,000/-
3.	बेसिक फायर फाइटर्स कोर्स	रु. 2,95,000/-

****